जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 19वीं बैठक जो दिनांक 14.09.2016 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

1– श्री ए0पी0 मिश्रा	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2– श्री ए0 के0 अग्रवाल	निदेशक
3– श्री बी0एस0 तिवारी	निदेशक
4– श्री राकेश त्रिवेदी	निदेशक

विशेष आमंत्री

1. श्री सुबीर चक्रवर्ती, मुख्य अभियन्ता (पीपीएमएम)
2. श्री आर0 के0 जैन, मुख्य अभियन्ता (जानपद–नव परियोजना)

सहायतार्थ

श्री एच0 के0 अग्रवाल, कम्पनी सचिव

क्रम	एजेण्डा आइटम	लिया गया निर्णय
1	निगम के निदेशक मण्डल की 18वीं बैठक जो दिनाँक 31.05.2016 को सम्पन्न हुई, की कार्यवाही की पुष्टि।	निदेशक मण्डल ने निगम की 18वीं बैठक जो दिनाँक 31.05.2016 को सम्पन्न हुयी, के प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया।
2	निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम द्वारा पारित प्रस्ताव के पुष्टिकरण के सम्बन्ध में।	

लिया गया निर्णय

निदेशक मण्डल ने 14.06.2016 को पारित किये गये प्रस्ताव का पुष्टिकरण करते हुए, उसे इस बैठक के कार्यवृत्त में निम्नवत उद्धरित करने का अनुमोदन प्रदान किया :–

निगम के निदेशक मण्डल की 15वीं बैठक जो दिनाँक 16.06.2015 को सम्पन्न हुई, के एजेण्डा आइटम 02 में आंशिक संशोधन हेतु निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम द्वारा प्रस्ताव पारित का उद्धरण

एजेण्डा आइटम	लिया गया निर्णय
निगम के निदेशक मण्डल की 15वीं बैठक जो दिनाँक 16.06.2015 को सम्पन्न हुई, के एजेण्डा आइटम 02 में आंशिक संशोधन हेतु निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम द्वारा प्रस्ताव पारित कराये जाने के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने निगम के निदेशक मण्डल की 15वीं बैठक जो दिनाँक 16.06.2015 को सम्पन्न हुई, के एजेण्डा आइटम 02 में आंशिक संशोधन हेतु निम्न प्रस्ताव पारित किया :– " निदेशक मण्डल ने पूर्व में आयोजित 15वीं बैठक जो दिनांक 16.06.2015 को सम्पन्न हुई थी के

CHAIRMAN'S INITIAL

		कार्यवृत्त के एजेण्डा आइटम 02 में ट्रांसफरर के रूप में अंकित श्री एच0के0 अग्रवाल, कम्पनी सचिव के नाम को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री दीपक रायजदा, अधिशासी अभियन्ता अंकित माने जाने जाने एवं इस हद तक सम्बन्धित कार्यवृत्त को संशोधित माने जाने का अनुमोदन प्रदान किया। यह संशोधन पूर्वगामी प्रभाव से लागू माना जायेगा। "
3	निगम के अंशधारियों की 7वीं वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में जारी नोटिस सं0 3176 दिनांक 31.08.2016 के कार्योत्तर अनुमोदन के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अंशधारियों की 7वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 24.09.2016 को आयोजित करने हेतु कम्पनी सचिव द्वारा जारी पत्रांक सं0 3176 दिनांक 31.08.2016 का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।
4	निदेशक की सूचना एवं अंशो के हस्तांतरण के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने श्री राकेश कुमार, तत्कालीन मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) के नाम निगम का एक अंश श्री एच0के0 अग्रवाल, कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के नाम हस्तांतरित करने का अनुमोदन प्रदान किया।
5	उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 को उपलब्ध कराई गयी अंशपूँजी के आबंटन तथा अंश प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 को उपलब्ध कराई गयी अंशपूँजी के आबंटन तथा अंश प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में निम्न संकल्प पारित किये :– 1. **संकल्प लिया गया कि** उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 से अंशपूँजी के मद में प्राप्त धनराशि रू0 10,00,00,000.00 (1,00,00,000 अंश प्रति अंश रू0 10.00) के सापेक्ष शत प्रतिशत अंश उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पक्ष में जारी करने का अनुमोदन प्रदान किया। 2. **पुनः संकल्प लिया गया कि** नगद प्राप्त अंशपूँजी रू0 10,00,00,000.00 के सापेक्ष 1,00,00,000 अंश (प्रति अंश रू0 10.00) का एक शेयर सार्टिफिकेट उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पक्ष में जारी करने का अनुमोदन प्रदान किया।

CHAIRMAN'S INITIAL

		3. **पुनः संकल्प लिया गया कि** जारी किये जाने वाले शेयर सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, कम्पनी सचिव एवं श्री ए0के0 अग्रवाल, निदेशक को हस्ताक्षर कर शेयर सार्टिफिकेट जारी करने हेतु अधिकृत किया। 4. **पुनः संकल्प लिया गया कि** उपरोक्त वर्णित शेयर सर्टिफिकेट पर जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से सम्बन्धित प्राविधान के अनुसार कामन सील लगाने का भी अनुमोदन प्रदान किया।

6 जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2016–17 के वैधानिक सम्प्रेक्षक की नियुक्ति एवं उनकी सम्प्रेक्षा फीस के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

लिया गया निर्णय

निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2016–17 के वैधानिक सम्प्रेक्षक की नियुक्ति एवं उनकी सम्प्रेक्षा फीस के सम्बन्ध में निम्न अनुमोदन प्रदान किया :–

संकल्प लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के वार्षिक लेखों की वैधानिक सम्प्रेक्षा हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली के पत्रांक CA.V/COY/UTTAR PRADESH JAWVID(1)/639 दिनांक 02.08.2016 के द्वारा नियुक्त किये गये वैधानिक सम्प्रेक्षक की नियुक्ति उनके सम्मुख अंकित सम्प्रेक्षा शुल्क पर किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया :–

संवैधानिक सम्प्रेक्षक	परियोजना/इकाई जिसके लिए सम्प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।	सम्प्रेक्षा शुल्क (सेवा शुल्क अतिरिक्त देय है) (रू0 में)
राजीव नंदन एण्ड कम्पनी (CR0713) 301-A, द्वितीय तल, गोविन्द अर्पाटमेन्ट 1-A, शाहनजफ रोड, लखनऊ	मुख्यालय, लखनऊ	रू0 15000.00 प्रति वित्तीय वर्ष

पुनः संकल्प लिया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वैधानिक सम्प्रेक्षक की नियुक्ति एवं उनकी फीस का औपचारिक अनुमोदन अंशधारियों से भी प्राप्त कर लिया जाये।

CHAIRMAN'S INITIAL

7	2X660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना स्थल पर मा0 मुख्यमंत्रीजी के द्वारा किये जाने वाले शिलान्यास के कार्य को सीमित निविदा से कराने के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने सम्यक विचारोपरान्त निदेर्शित किया कि प्रकरण में कार्यवाही करते हुए सक्षम निविदा समिति की अनुशंसा सहित प्रकरण निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये।
8	जवाहरपुर 2X660 मे0वा0 तापीय परियोजना की स्थापना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नये उत्सर्जन मानकों के अनुपालन हेतु SCR (Selective Catalytic Reactor एवं FGD (Flu Gas Desulpherising Plant) के अतिरिक्त कार्यों के कारण परियोजना की संशोधित लागत के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नये उत्सर्जन मानकों के अनुपालन हेतु SCR (Selective Catalytic Reactor एवं FGD (Flu Gas Desulpherising Plant) के कार्य स्कोप के साथ–साथ अतिरिक्त कार्यस्कोप के कारण जवाहरपुर 2X660 मे0वा0 सुपरकिटिकल तापीय परियोजना की संशोधित परियोजना लागत पूर्व में उ0प्र0 शासन द्वारा अनुमोदित परियोजना की मूल लागत रू0 8078.56 करोड़ से बढ़कर रू0 10566.27 करोड़ हो जाती है, जिसमें आईडीसी मद में अनुमानित रू0 230.67 करोड़ की वृद्धि भी सम्मिलित है। परियोजना की बढ़ी हुई अतिरिक्त लागत रू0 2487.71 करोड़ के सापेक्ष 80 प्रतिशत रू0 1990.17 करोड़ का वित्त पोषण वित्तीय संस्थानों से ऋण द्वारा एवं 20 प्रतिशत रू0 497.54 करोड़ शासकीय अंशपूंजी से वहन किया जायेगा। अतिरिक्त ऋण रू0 1990.17 करोड़ हेतु शुल्क रहित शासकीय गारंटी प्रदान करने का अनुमोदन करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये। यह भी निर्देशित किया गया कि उ0प्र0 शासन से वर्णित प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये।
9	जवाहरपुर 2X660 मे0वा0 तापीय परियोजना की स्थापना हेतु प्रतिस्पर्धात्मक खुली निविदा द्वारा चयनित न्यूनतम निविदाकर्ता मैं दूसान पॉवर सिस्टम्स इण्डिया प्रा0 लि0, नई दिल्ली को सिंगल ई0पी0सी0 पैकेज के आधार	निदेशक मण्डल ने न्यूनतम (एल–1) बिडर मैं दूसान पॉवर सिस्टम्स इण्डिया प्रा0 लि0, नई दिल्ली को जवाहरपुर 2X660 मे0वा0 तापीय परियोजना की स्थापना हेतु सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमिशनिंग तथा सिविल कार्य (सिंगल ई0पी0सी0 पैकेज के आधार पर) कुल निविदा मूल्य यूरो 2,22,75,680 (दो

CHAIRMAN'S INITIAL

	पर कार्यादेश निर्गत किये जाने के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	करोड़ बाइस लाख पच्हत्तर हजार छः सौ अस्सी यूरो), यू0एस0 डालर 9,32,96,652 (नौ करोड़ बत्तीस लाख छियानबे हजार छः सौ बावन यू0एस0 डालर), जैपनीज येन 77,45,48,290 (सतहत्तर करोड़ पैंतालीस लाख अड़तालीस हजार दो सौ नब्बे जैपनीज येन) तथा रूपये 70,41,56,88,278 (सत्तर अरब इक्तालीस करोड़ छप्पन लाख अठ्ठासी हजार दो सौ अठहत्तर रूपये) में दिनांक 15.07.2016 के विनिमय दरों पर रूपये में परिवर्तनीय कुल मूल्य रूपये 78,94,03,30,260.00 (अठहत्तर अरब चौरानबे करोड़ तीन लाख तीस हजार दो सौ साठ रूपये) में निविदा शर्तों के अधीन सम्पादित कराने हेतु Price Adjustment (ceiling of (+/-)20%) की शर्त के अधीन कार्यादेश निर्गत करने का अनुमोदन इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान किया कि प्रकरण पर शासन का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही अग्रेतर कार्यवाही की जाये।
10	निगम के वित्तीय वर्ष 2015–16 के वार्षिक लेखों पर हस्ताक्षर करने हेतु मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) के स्थान पर महाप्रबन्धक (सम्प्रेक्षा) को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने एजेण्डे में प्रस्तुत स्थिति को संज्ञान में लेते हुए निदेशक मण्डल की 18वीं बैठक जो दिनांक 31.05.2016 को सम्पन्न हुई में एजेण्डा आइटम सं0 21 पर लिये गये निर्णय को निम्न सीमा तक संशोधित करने का निर्णय लिया :– "कि जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2015–16 के वार्षिक लेखों पर मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) के स्थान पर महाप्रबन्धक (सम्प्रेक्षा) को हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं। शेष निर्णय यथावत रहेगा।"

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए समाप्त हुई।

बैठक सांय 12:00 बजे प्रारम्भ होकर सांय 01:00 बजे समाप्त हुई।

दिनांक : 22/9/2016

(ए0पी0 मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

CHAIRMAN'S INITIAL